

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज 0

पीठारी अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर 0 ए 0 एस 0

राजस्व वाद संख्या : 53/2011

वादी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम प्रतिवादी :-

1. रतना पुत्र हरलाल
जाति-जंगलिया, निवारी-बोगासनी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 28.02.2011

- परिस्थित:-
1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
 2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 29/05/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद जिला-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नंबर 128/1 रकबा 10-00 बीघा किस्म बा 0 दो 0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि पर योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर खनन लाईम स्टोन का अवैध रूप से किया जा रहा है। दिनांक 14/02/2011 को खनन वि 0 के 0 फोरमैन व पटवारी-निम्बोल द्वारा संयुक्त रूप से उपरोक्त आराजी का जांच देखा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) ख.नं. 128/1 में अवैध रूप से खनिज लाईम स्टोन के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 15मी. x 7मी. x 5मी. तक खनन हटाई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वित्तीय हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार प्रति 0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति के रूप से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तों (अधिकार) का उल्लंघन किया गया एवं अक्षत खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो रही है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।


इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रति 0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की प्रार्थना की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति 0 को जरिये वास्ते ज 0 दा 0 तलब किया गया। प्रति 0 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी, वकील ने वकालतनामा पेश किया, सा 0 मि 0 है। वकील प्रति 0 को दिनांक 2011 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा जमाने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा का अवसर समाप्त किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)


पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति० ने सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 128/1 रकबा 15मी. x 7मी. x 5मी. किरम बा०दो० में लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग में ले रहा है। कृषि भूमि की उपयोगिता नष्ट कर दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया है। प्रति० को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

-::आदेश:-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति० इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 128/1 रकबा 15मी. x 7मी. x 5मी. किरम बा०दो० जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती है। प्रति० के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय उक्त रकबा दर्ज किया जाता है। प्रति० को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को सूचित किया जाता है कि प्रति० को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पृथक से बनाया जाकर सा०मि० हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से जारी हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 29/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा निम्बोल पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

डिक्री बमुकदमें इस्तदाई

(ओ 21 रुल 6,7 जाखा दीयानी)

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

अज अदालत

ईजलास

वादी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादी :-

1. रतना पुत्र हरलाल
जाति-जंगलिया, निवारी-बोगासनी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत
धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 53/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व
राजरी तहसीलदार, जैतारण उपरिथत मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी,
अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि
डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद
मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं.
28/1 रकबा 15मी. X 7मी. X 5मी. किरम बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध
खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की
जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक
दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को
निर्देशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें।
बावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर
मेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।
बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/05/2015 को
की किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

ई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
नताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्जा गवाहान			फीस कमीशनर		
कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
त ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

जान:-

मिजान:-

इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए
किया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।